न्यायालय श्री दिनेश कुमार न्यायिक दण्डाधिकारी,प्रथम श्रेणी,दाउदनगर,औरंगाबाद।

उपहारा थाना कांड संख्या–45 / 2021

जी0आर0संख्या–743 / 2021

27–08–21 काराधीन अभियुक्त तिजु कुमार की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा शक्ति पत्र के साथ में जमानत हेतु आवेदन पत्र दिया गया है। जिसकी प्रति विद्वान सहायक लोक अभियोजक को दी गई है।

वाद पुकार पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा जमानत आवेदन पत्र संचालित करते हुए निवेदन किया गया है कि प्रार्थी सर्वथा निर्दो ा है तथा कोई अपराध नहीं किया है । यह कि इसके अलावा अन्य किसी भी वरीय न्यायालय में जमानत हेतु आवेदन पत्र नहीं दिया गया है। यह कि जैसा सूचक द्वारा कहा गया है वैसी कोई घटना नहीं हुई है और प्रार्थी के पास से कोई भी वस्तु बरामद नहीं हुआ है। यह कि प्रार्थी के विरूद्ध चोरी का आरोप नहीं बनता है तथा प्रार्थी को सिर्फ ग्रामीण राजनीति के तहत झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी दिनांक 19–08–21 से न्यायिक हिरासत में है। प्रार्थी उचित धन राशि का जमानत बंध पत्र देने को तैयार है। अतः जमानत पर मुक्त करने की प्रार्थना करते है।।

विद्वान सहायक लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध किया गया । जमानत के बिन्दु पर विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उभय पक्षों को सुना एवं वाद अभिलेख का अवलोकन किया। जिससे पाता हूँ कि प्रस्तुत वाद की प्राथमिकी अंतर्गत धारा 379 / 34 के तहत दर्ज किया गया है। प्रार्थी प्राथमिकी का नामजद है। अभिलेख पर उपलब्ध वाद दैनिकी के अवलोकन से यह विदित होता है कि वाद के अप्राथमिकी अभियुक्त विकास कुमार दिनांक 07–08–2021 को सूचक की चोरी गई मोटरसाईकिल एवं उसकी जप्ती सूची के साथ गिरफ्तार होकर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। उसने अपना दो ास्वीकृति बयान में बताया है कि प्रार्थी अभियुक्त तिजु कुमार सहित अन्य प्राथमिकी अभियुक्त बजरंगी कुमार उसके दोस्त हैं तथा उन्होंने मोटरसाईकिल चोरी कर बेचने के लिए मेरे पास रखा था और मोटरसाईकिल सहित मुझे पंचानपुर ओ.पी के पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपित अपराध अजमानतीय प्रकृति का है । वाद में अनुसंधान जारी है। अन्य अभियुक्त का जमानत आवेदन पूर्व में खारिज किया जा चुका है। अतः उपरोक्त तथ्यों परिस्थितियों के विवेचनोपरांत प्रार्थी अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित् प्रतीत नहीं होता है।

तद्नुसार प्रार्थी अभियुक्त तिजु कुमार का जमानत आवेदन पत्र खारिज किया जाता है।

लेखापित

न्या0दण्डा0प्रथम श्रेणी